

भारत सरकार के अधीन वित्तीय
सहायता के लिए आवेदन
विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए
स्वैच्छिक संगठन सहायता स्कीम

.....

प्रेषक

सेवा में,

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधायी विभाग, राजभाषा खंड,
कमरा सं. 742, 7वां तल, 'ए' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001.

विषय: "विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठन सहायता स्कीम" के अधीन अनुदान ।

“विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठन सहायता स्कीम” के अधीन अनुदान के लिए मेरा आवेदन (दो प्रतियों में) संलग्न है । मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस स्कीम के अधीन अनुदानों को लागू नियम और विनियम पढ़ लिए हैं और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूँ । प्रबंध मंडल की ओर से मैं निम्नलिखित शर्तों को भी स्वीकार करता हूँ -

(क) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से सृष्ट कोई भी आस्ति, भारत सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी व्यक्ति/संस्था को अंतरित नहीं की जाएगी । यदि किसी समय संगठन/संस्था अस्तित्व में नहीं रहा जाता है/जाती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुदान से क्रय किया गया उपस्कर, भारत सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगा ।

(ख) संगठन/ संस्था का लेखा उचित रूप में रखा जाएगा और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी उसकी जांच-पड़ताल कर सकेगा ।

(ग) यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि संगठन/संस्था के कार्यकलाप उचित रूप में नहीं चलाए जा रहे हैं या मंजूर किया गया धन अनुमोदित प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है तो भारत सरकार अनुदान की अगली किस्तों का संदाय रोक सकती है और प्रबंध मंडल, उतने धन का प्रतिदाय करने का वचन देगा जितना सरकार विनिश्चित करे ।

(घ) संगठन/संस्था अपने कार्यकरण में, विशेष रूप से केन्द्रीय अनुदान में से उपस्कर के लिए व्यय करने के संबंध में,अत्यधिक मितव्ययिता बरतेगा/बरतेगी ।

(ङ) अनुदान केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए वह मंजूर किया गया है ।

(च) परियोजना/स्कीम की प्रगति रिपोर्ट नियमित अंतरालों पर प्रस्तुत की जाएगी ।

(छ) व्यय का एक लेखापरीक्षित विवरण परियोजना/स्कीम के पूरा होने के पश्चात् तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ज) संगठन/संस्था, स्कीम/परियोजना का अतिशेष प्राक्कलित व्यय वहन करेगा/करेगी या संगठन/ संस्था व्यय का ---- प्रतिशत वहन करेगा/करेगी और अतिशेष राज्य सरकार वहन करेगी ।

(कृपया उस शर्त को काट दें जो लागू नहीं होती है)

स्थान:

भवदीय,
भवदीय,

तारीख:

()
पदनाम
(कार्यालय की मोहर)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
(राजभाषा खंड)

(दो प्रतियों में)

(विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने संबंधी स्कीम का आवेदन का प्ररूप)

1. संगठन/संस्था आदि का नाम रजिस्ट्रीकृत पता -----
(रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) ।
2. संगठन/संस्था की कुल आस्तियां । -----
3. अंतिम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार या -----
अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों और दान के रूप में
प्राप्त रकम के ब्यौरे ।
4. संगठन/संस्था के संक्षिप्त क्रियाकलापों का विवरण । -----
5. परियोजना/स्कीम किस औचित्य पर सहायता की -----
हकदार है जो भारतीय भाषाओं के विधि के क्षेत्र में
प्रचार और विकास से संबंधी उद्देश्य को पूरा करने
में सहायक होगी ।
6. (i) होने वाला कुल व्यय जिसके लिए अनुदान का -----
अनुरोध किया गया है और कितनी रकम का अनुदान
चाहता है । -----
(ii) यह विनिर्दिष्ट करें कि वह अपनी कृति की
कितनी प्रतियां मुद्रित और परिचालित कराने का
आशय रखता है ।
7. परियोजना/स्कीम के आरंभ और समापन की संभावित -----
तारीखें ।

8. संलग्न किए जाने वाले कागज पत्रों/विवरणों की सूची(दो प्रतियों में)
- (क) संगठन या संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य बताने वाली विवरण पत्रिका या टिप्पण,
- (ख) प्रबंध मंडल का गठन और प्रत्येक सदस्य की विशिष्टियां,
- (ग) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट ,
- (घ) अंतिम एक वर्ष का लेखा, प्रमाणित तुलनपत्रों सहित,
- (ङ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार,स्थानीय निकायों या किसी अर्धशासकीय सरकारी संस्था से गत पांच वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता का ब्यौरा (वर्ष, प्रयोजन, रकम आदि का उल्लेख करें)
- (च) पांडुलिपि की एक प्रति और जिसके साथ लेखक का एक प्रमाणपत्र जिसमें संस्था/संगठन को प्रकाशन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, संलग्न करें ।
9. अतिरिक्त कागज पत्रों,यदि कोई हों,की सूची ।
10. अतिरिक्त जानकारी,यदि कोई हो ।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
पदनाम
कार्यालय की मोहर

राजभाषा खंड
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

विधि के क्षेत्र में राजभाषा की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

प्रारंभिक । 1. भारत सरकार, विधायी विभाग ने विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम बनाई है ।

संक्षिप्त नाम । 2. इस स्कीम का नाम “विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं” की उन्नति के लिए स्कीम है ।

प्रविषय । 3. अनुदान विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य के विकास और प्रचार के लिए परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए अनुज्ञेय होंगे । ये विधिक विषयों पर प्रस्तावित टीकाओं, ग्रंथों, विद्वतापूर्ण पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं, विधि सार संग्रहों और ऐसे अन्य प्रकाशनों के रूप में हो सकेंगे जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं की अनुवृद्धि, प्रचार, विकास और प्रयोग के लिए सहायक हों ।

सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी । समिति निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों से मिलकर बनेगी-

1. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदासीन न्यायाधीश,
2. अधिवक्ता, जो विधिज्ञों में प्रतिष्ठित हो,
3. किसी विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विधि का आचार्य(प्रोफेसर)
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

संयुक्त सचिव समिति का सचिव होगा । नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति, केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विधि के ज्ञान के अतिरिक्त संबंधित भाषा का भी अच्छा ज्ञान हो ।

समिति संबंधित संगठन को स्कीम में उपयुक्त परिवर्तन या उपांतरण करने का परामर्श भी दे सकेगी ।

सहायता की मात्रा । 4. वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, कमरा सं. 742, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जाएंगे । वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदनों पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा और अनुदान केवल अनुमोदित कार्य-मदों के लिए मंजूर किए जाएंगे। मंजूर किया गया अनुदान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यकलापों/प्रयोजनों आदि के कार्यान्वयन में होने वाले प्रत्याशित शुद्ध व्यय के प्रतिशत के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण:- “प्रत्याशित शुद्ध व्यय” से उत्पादित साहित्य के विक्रय से प्रत्याशित प्राप्तियों को घटाने के पश्चात् कुल प्रत्याशित व्यय अभिप्रेत है ।

अनुदानों का संदाय किए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति और कार्यों की प्रगति के आधार पर और किशतों में किया जाएगा ।

आवेदन प्रस्तुत । 5. आवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्श, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, करने की विधि और न्याय मंत्रालय, कमरा सं. 742, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, को भेजे जाएं । प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजें होंगी-

- (i) संगठन के उद्देश्यों और कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण,;
- (ii) क्या संगठन रजिस्ट्रीकृत संगठन है, ;
- (iii) अंतिम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट,;
- (iv) पिछले एक वित्तीय वर्ष के लिए संगठन के लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति और अंतिम तुलनपत्र की एक प्रति, ;
- (v) प्रबंध मंडल के शासी निकाय का गठन, ;
- (vi) उस वर्ष की बाबत आय और व्यय का प्राक्कलन जिसके लिए आवेदन किया गया है, ;
- (vii) राज्य सरकार या अन्य निकायों से अब तक प्राप्त अनुदानों का विवरण, प्रत्येक मामले में यह उपदर्शित किया जाए कि (क) वह प्रयोजन क्या था जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया था,(ख) उसका कैसे और कब उपयोग किया गया,(ग) उस दिशा में क्या प्रगति हुई जिसके लिए

सहायता दी गई थी और (घ) क्या पूर्ववर्ती सहायता से संलग्न सभी शर्तों का सम्यक रूप से पालन किया गया था, ;

(viii) विचाराधीन स्कीमों के वास्ते अनुदानों के लिए अन्य राज्य सरकारों या निकायों को, यदि कोई हैं, किए गए निवेदन से संबंधित जानकारी, उन सरकारों और निकायों के ऐसे निवेदनों पर विनिश्चय संसूचित किए जाने चाहिए,;

(ix) यह वचनबंध कि एक बार किसी परियोजना/स्कीम आदि के प्राक्कलन आदि युक्तियुक्त रूप से अनुमोदित कर दिए जाने और उन प्राक्कलनों के आधार पर अनुदान निर्धारित किए जाने पर संगठन, विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना, उनमें उपांतरण नहीं करेगा,;

(x) प्राक्कलित व्यय का पूर्ण औचित्य, ;

(xi) नई प्रकाशित कृतियों के लिए निवेदन की दशा में, पांडुलिपि की प्रति, लेखक के ऐसे प्रमाणपत्र के साथ जिसमें संस्था को प्रकाशन हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

जांच के लिए दी जाए,;

(xii) पहले आवेदन के साथ संस्थाओं के पूर्ववर्ती प्रकाशन भेजे जाने चाहिए और पश्चात् वर्ती निवेदनों की दशा में वे प्रकाशन भेजे जाने चाहिए जो अंतरिम अवधि के दौरान प्रकाशित किए गए हों,;

(xiii) अनुदानों की सहायता से की जाने वाली परियोजना स्कीम आदि पर नियोजित कर्मचारियों की अर्हताओं, अनुभव का विवरण ।

6. संगठनों के लिए मंजूर किए गए अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :-

(1) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का कोई अधिकारी या भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग का कोई अधिकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) संगठन अनुदान का धन प्राप्त करने से पूर्व यह बचनबंध करेगा कि उसकी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना या स्कीम सरकार द्वारा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर पूरी की जाएगी और अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह मंजूर किया गया है । ऐसा करने में असफल रहने पर संगठन अनुदान की पूरी रकम, उस पर ब्याज सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, सरकार को वापस करने का दायी होगा ।

(3) किशतों में संदेय अनुदान की किसी पश्चात् वर्ती किशत का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती किशत के अधिकांश भाग का उपयोग न कर लिया गया हो और लेखा-परीक्षित लेखाओं का विवरण, पूर्ववर्ती किशत की सहायता से किए गए कार्य की रिपोर्ट सहित, किशत जारी करने के निवेदन के साथ न दिया गया हो, क्योंकि उसका उन्मोचन केवल तभी किया जाएगा जब कार्य की समाधानप्रद प्रगति के बारे में विधायी विभाग का समाधान हो जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सहायता से निकाले गए सभी प्रकाशनों की उतनी प्रतियां, जो पांच से अधिक नहीं होंगी जिनका विनिश्चय विधायी विभाग करे, विधायी विभाग को नःशुल्क प्रदत्त की जाएंगी ।

(5) संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की सहायता पूर्णतः या सारतः अर्जित या सृजित आस्तियों का लेखा-परीक्षित अभिलेख

विहित प्रोफार्मा में देगा और उसकी प्रति विनिर्दिष्ट तारीख तक या युक्तियुक्त समय के भीतर अभिलेख के लिए विधायी विभाग को देगा । इस प्रकार सृजित आस्तियों का व्ययन, विल्लंगम या उपयोग, विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए अनुदान दिया गया है ।

(6) संगठन के लेखाओं को समुचित रूप से रखा जाना चाहिए और जब कभी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इन लेखाओं की विधायी विभाग कभी भी जांच कर सकेगा ।

(7) संगठन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन संगठन द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुदान की बाबत एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(8) जब विधायी विभाग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि संगठन के कार्यकलापों का प्रबंध समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है या कि मंजूर किए गए धन का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है तब अनुदान का संदाय रोका जा सकेगा ।

(9) पुस्तक का लेखक साधारणतः, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी पाठों में प्रयुक्त हिंदी की विधि शब्दावली का प्रयोग करेगा । पुस्तक में समान या समरूप पदों के लिए राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में दिए गए हिंदी के विधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा । जहां अधिनियमितियों के पाठों को उद्धृत किया जाना है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियमों के हिंदी पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए । निर्णयों के प्रति निर्देश और उनसे उद्धरणों

को, यथासंभव दो हिंदी विधि रिपोर्टों, अर्थात् “उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका” और “उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका” से लिया जाएगा, जो विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। ये अनुदेश हिंदी से भिन्न राजभाषाओं के संबंध में भी, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(10) संगठन पर यह आबद्धकर होगा कि वह उस कार्य के संबंध में जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया है, विधायी विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों और सुझावों को कार्यान्वित करे। संगठन विधायी विभाग को किसी विषय पर ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा, जिसकी विधायी विभाग द्वारा अपेक्षा की जाए।